

उत्सकी शादी 10 दिन पूर्व 29 जुलाई को हुई थी, लेकिन पुलिस ने उस परिवार के ही सदस्य से मारपीत के मामले में गुरुवार 9 जुलाई को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अनुसार, गिरफ्त में लिए गए युवक की कोरोना जांच के लिए बालेसर स्थित सीएसके में सैम्पल लिया गया था। इसके बाद सैम्पल जोधपुर भिजवाया गया, जिसके रिपोर्ट शनिवार को मिली। युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इससे बाद पुलिस ने युवक को न्यायिक हिरासत में भेजने के बजाय जोधपुर के महान्यायाधीश अस्पताल के कोविड वार्ड में धर्ती करवाने के लिए भिजवा दिया।

न्यूज गैलरी

अवैध रेत की चोरी करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन खारिज

छतरपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती चेतना पालीवाल नौगांव द्वारा अवैध रूप से रेत चोरी करने वाले आरोपी रामप्रकाश तिवारी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 05/07/2020 को थाना हरपालपुर को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ट्रैक्टर में ट्राली लगी मवेया नाले से अवैध रूप से रेत चोरी करके भरा जा रहा था। सूचना की तत्दीक पर थाना पुलिस मवेया नाले पर पहुंची, तो पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक, ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर भाग गया। थाना हरपालपुर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान आरोपी रामप्रकाश तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की गई। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से प्रवीण कुमार सिंह जिला लोक अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में आशीष त्रिपाठी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने रेत चोरी के आरोपी को जमानत देने पर तर्क प्रस्तुत कर आपत्ति की, न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।

संक्रमण से मुक्त होने पर खण्डवा से 15 व इंदौर से 2 मरीज हुए डिस्चार्ज

खण्डवा। कोविड केयर सेंटर खण्डवा में भर्ती कुल 15 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी. एस. चौहान ने बताया कि रविवार को डिस्चार्ज किए गए कोरोना विजेताओं में हरसूद के समिर खान, साहिल खान, सईदा खान, नसरा, तसमीया एवं सबील शामिल है। इससे पूर्व शनिवार रात में अमन पाराशर निवासी भवानी माता वार्ड, दिपेश लाड निवासी पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, हरीश निवासी अनुपम नगर, मनीष साहनी निवासी सिंधी कॉलोनी, प्रत्यूष पंडित निवासी कालमुखी हनुमान नगर, कल्पना गौतम निवासी कृष्ण सरोवर कॉलोनी, निसरीन निवासी सैफी कॉलोनी, अब्दुल हुसैन निवासी सैफी कॉलोनी, अब्दुल गनी निवासी दुबे कॉलोनी की भी कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज किया गया है। संक्रमण से मुक्त हुए कोरोना विजेताओं ने जिला अस्पताल के चिकित्सकों व वहां के स्टाफ के व्यवहार की सराहना की तथा कोविड वार्ड में साफ सफाई व भोजन व्यवस्था की भी सराहना की।

दमोह जिले की तेन्दूखेड़ा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत खमरिया में सरपंच-सचिव-रोजगार-उपयंत्री की मिलीभगत से प्रवासी मजदूरों के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा

विशाल रजक तेन्दूखेड़ा।

दमोह जिले के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत तेन्दूखेड़ा की ग्राम पंचायत खमरिया में सरपंच सचिव रोजगार सहायक उपयंत्री और जनपद सीईओ की सांठगांठ के चलते प्रवासी मजदूरों के नाम पर लाखों रुपए के फर्जी मास्टर डालकर राशि अहरण की जा रही है ग्राम पंचायत खमरिया के निवासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत में जो भी निर्माण कार्य कराये जाते हैं वह कार्य सिर्फ

जैसेबी मशीन से कार्य कराये जा रहे हैं हम मजदूरों द्वारा काम की मांग के लिए पंचायत में जाते हैं तो रोजगार सहायक एवं सरपंच प्रतिनिधि द्वारा यह कह कर भगा दिया जाता है कि यह कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है ठेकेदार का काम चल रहा है जानकारी लेने पर पता चला कि ठेकेदार कोई और नहीं उपयंत्री सीताराम कोरी द्वारा कराया जा रहा है ग्राम पंचायत में ठेकेदारी के रूप से काम कर रहे हैं और रोजगार सहायक से मिलकर फर्जी तरह से मजदूरों के नाम से मास्टर भर कर लाखों रुपये की राशि अहरण कर ली गई है जिनके

ऊपर जिम्मेदारी है वह भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं मास्टर में हेराफेरी की जा रही है प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां एक ओर प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करने के लिए ग्राम पंचायतों को राशि दी जा रही है वहीं ग्राम पंचायत के कर्ताधर्ताओं के द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए फर्जी तरह से मजदूरों के मास्टर डालकर राशि निकाल रहे हैं मजदूरों को यह भी मालूम नहीं है कि उनके खाते किस बैंक में है ठेकेदारी के रूप में काम कर रहे हैं श्री कोरी और रोजगार

सहायक द्वारा फर्जी तरह मजदूरों के खाते खोलकर लाखों रुपये निकाले जा रहे हैं ग्राम के निवासियों ने बताया कि विगत वर्षों से महाराष्ट्र एवं अन्य प्रदेशों से रोजगार की तलाश में जाते हैं क्योंकि ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य तो चल रहे हैं लेकिन स्थानीय मजदूरों को रोजगार नहीं दिया जाता है इस कारण हम लोग काम की तलाश में बाहर पलायन के लिए जाते हैं ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्य में नही देवरी में खेल ग्राऊंड में 91 मजदूरों की डिमांड डाली गई है 22 जून को जब हमारे संवाददाता विशाल रजक ने मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां पर एक भी मजदूर काम नहीं कर रहे थे मास्टर क्रमांक 562 राशि-7980 मास्टर क्रमांक 1*74राशि 6840 मास्टर

क्रमांक 1*76राशि 21660 मास्टर क्रमांक *011राशि 12540 मास्टर क्रमांक *466 राशि 28520 में दर्ज मजदूरों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने काम नहीं किया और हमें यह मालूम नहीं है कि हमारे नाम से खाता कहा पर नहीं हमने पैसे निकाले हैं इस संबंध में खमरिया सचिव से बात की तो उनका कहना था कि उपयंत्री सीताराम कोरी द्वारा कार्य कराया जा रहा है जहां तक निर्माण कार्य की बात है तो सभी को पता है कि मशीनों से कराये जाते हैं श्री कोरी के द्वारा सीसी रोड निर्माण में 10 प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है सीईओ मेडम को 5 प्रतिशत एई श्री पटेल के लिए भी कमीशन देना पड़ता है वहीं इस संबंध में जब जनपद सीईओ रानू जैन से इस

नंबर पर 9827269205 बात करनी चाहिए तो उनका फोन कवरेज क्षेत्र में बाहर आ रहा था जिसके चलते इस फर्जीवाड़ा के संबंध में बात नहीं हो पाई। वहीं दूसरी ओर मनरेगा एसडीओ केपी पटेल से इस नंबर पर 8720001194 संपर्क किया गया तो उनका फोन बंद आ रहा था जिससे बात नहीं हो पाई। फिलहाल अब देखा जा रहा है कि इन भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच सचिव रोजगार सहायक और उपयंत्री एवं जो सहयोग करते हैं अधिकारियों पर कार्रवाई होती है कि नहीं यह सिर्फ कागजों में रह जायगा यह फर्जीवाड़ा। कल भी मिलते है इसी पंचायत की काले कारनामों के साथ साथी ही भ्रष्टाचार के नए खुलासे में।

30000/- रूपये का ईनामी डकैत रामअवतार केवट का साथी मनोज केवट को पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी से एक बंदूक व 4 कारतूस पुलिस ने किए बरामद

नव प्रदेश संवाददाता

छतरपुर। तीन जिलो का कुख्यात बदमाश रहा रामअवतार केवट निवासी केवटरा महता जिस पर हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास , छेड़छाड़ जैसे एक दर्जन अपराध छतरपुर, पन्ना, बांदा जिलों में चल रहे हैं। जिसे उप निरीक्षक जसवंत राजपूत व उनकी टीम द्वारा करीब 1 वर्ष पूर्व गिरफ्तार किया गया था। मुखबिर द्वारा सूचना मिली की उक्त बदमाश का साथी मनोज केवट उर्फ मन्ना पिता शम्भू केवट उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बंजारी केवटरा कोई बड़ी घटना करने की फिराक में है जिसको दिनांक 12/07/2020 को सुबह 6.00 बजे केन नदी पुल के पास से एक नली लोहे की 12 बोर अवैध बंदूक एवं चार जिंदा कारतूस कीमती करीबन



15800/- रूपये की मौके पर लिये पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक छतरपुर श्री सचिन निरीक्षक जसवंत राजपूत व उनकी टीम द्वारा करीब 1 वर्ष पूर्व गिरफ्तार किया गया था। मुखबिर द्वारा सूचना मिली की उक्त बदमाश का साथी मनोज केवट उर्फ मन्ना पिता शम्भू केवट उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बंजारी केवटरा कोई बड़ी घटना करने की फिराक में है जिसको दिनांक 12/07/2020 को सुबह 6.00 बजे केन नदी पुल के पास से एक नली लोहे की 12 बोर अवैध बंदूक एवं चार जिंदा कारतूस कीमती करीबन

यहां खनिज विभाग ने कई मर्तबा कार्रवाई की लेकिन खदान संचालकों की मनमानी रस्ती भर भी नहीं रुकी

क्रेशर लगाया नहीं लीज स्वीकृत कराकर माफियाओं ने अवैध खनन कर बेच डाला पत्थर स्वीकृत रकवे से ज्यादा कर दी खुदाई शासन को हुई राजस्व हानि।

नरेंद्र सराफ/ छतरपुर।

अंचल के प्रकाश बम्होरी घटहरी बंदौराकला में संचालित क्रेशर संचालकों की मनमानी चरमसीमा पर है नियम कायदों को ताक पर रखकर खनिज संपदा का दोहन किया जा रहा है माफियाओं की मनमानी से ग्रामीणों का जीना मिश्रिकल हो रहा है ब्लास्टिंग की समय सीमा निर्धारित म होने से बेजुबान जानवरो की अकारण मौत हो रही है वही ग्रामीण खरीब की फसल की रखवाली करने अपने खेतो तक



नही पहुंच पा रहे है ग्रामीणों ने बताया की बंदौराकला हल्का क्षेत्र के खसरा क्रमांक 1155 में अखलेश द्विवेदी विनोद त्रिपाठी सहित चार लोगों के नाम पत्थर खनन के लिए पहाड़ में लीज स्वीकृत थी बाद में दो लोगों ने पार्टनरशिप खत्म कर सिर्फ दो लोगो की ही हिस्सेदारी रह गई जिनमे अखिलेश द्विवेदी और विनोद त्रिपाठी के नाम शामिल है ग्रामीणों ने बताया की स्वीकृत लीज से दुगने सीमा में

पहाड़ पर अवैध उत्खनन कर शासन को लाखो रुपये की राजस्व हानि पहुंचाई है ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में इस मामले में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा चुके है लेकिन कार्रवाई के नाम पर उक्त शिकायतो में कोई अमल नही हुआ है। ग्रामीणों ने बताया की खदान संचालक द्वारा मायनिंग प्लान का पालन नही किया गया बिना क्रेशर लगाए ही लाखो घन मीटर पत्थर का उत्खनन किया गया साथ ही ब्लास्टिंग का समय निर्धारित न करने से ग्रामीणों में भय एवं दहशत का माहौल बना हुआ है खसरा क्रमांक 1155 में खदान संचालक की पत्थर खनन के लिए कुल लीज करीब तीन हेक्टेयर जबकि संचालक द्वारा करीब छह हेक्टेयर में खनन किया गया है। ग्रामीणों के

अनुसार खदान संचालक के पास ग्वालियर स्थित कार्यालय से डीजीएमएस की परमीशन नही है फिर भी खदान संचालक द्वारा पहाड़ को गहरा कर पत्थर निकाला जा रहा है खदान में काम के रहे मजदूरों के लिए सुरक्षा के कोई इंतजाम नही है यहां कभी भी कोई गंभीर घटना घटित हो सकती है जिंदगी दाव पर लगाकर मजदूर काम कर रहे है।

इनका कहना है

खनिज विभाग द्वारा बीते रोज इसी खदान नंबर संचालित खदानों पर छापाकार कार्रवाई की गई थी आगे वया हुआ मैं जानकारी लेता हूँ अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी

अविनाश रावत एसडीएम लवकुशनगर

नगर परिषद तेंदूखेड़ा में पार्क बनाए जाने के लिए विधायक ने लिखा पत्र

विशाल रजक तेंदूखेड़ा। नगर के लोगों की शुरू से ही मांग रही है की नगर में बच्चों को खेलने एवं बुजुर्गों के टहलने के लिए पार्क बनाया जाए। नगर की समस्या को लेकर मंडल अध्यक्ष गोविन्द यादव एवं विधायक प्रतिनिधि चेतन जैन ने विधायक को अवगत कराया इसके अलावा मेन रोड से शासकीय कॉलेज तक सीसी रोड निर्माण कराने की मांग भी विधायक जी से कही गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जबरा विधायक धर्मेन्द्र सिंह लोधी द्वारा कलेक्टर महोदय से तेन्दूखेड़ा नगर में तारादेही रोड पर सौंदर्य करण एवं पार्क निर्माण के लिए पत्राचार किया गया है ज्ञात हो कि पूर्व में भी नगर परिषद द्वारा तारादेही रोड पर सौंदर्य करण जिसमे दोनों तरफ फुटपैठ का निर्माण का टेंडर लगाया गया था लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नही मिलने के कारण कार्य नहीं हो सका था उसी के



परिपेक्ष में माननीय विधायक जी द्वारा पत्राचार किया गया जिसमें कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे जो खाली जमीन पड़ी है उसमें पार्क का निर्माण एवं तारादेही और सौंदर्यकरण का कार्य किया जाए इसके अलावा लोक निर्माण विभाग द्वारा एनओसी दिलाने की बात कही है।

विडम्बना योजना के तहत बच्चों के घर-घर जा रहे शिक्षक, लेकिन विषयवार पढ़ाई नहीं हो पा रही शुरू

हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के लिए भोपाल से नही मिला पढ़ाई का मेटर

13 जुलाई से आगया मेटर तब होगी विषय वार पढ़ाई, अभी शिक्षक अपने स्तर से करा रहे पढ़ाई

नरेंद्र सराफ/ छतरपुर।

कोरोना संकट के चलते स्कूल बंद है, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा हमारा घर-हमारा विद्यालय योजना 6 जुलाई से शुरू की गई है। लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए विषय वार मेटर भोपाल से नहीं भेजा जा रहा है। जिससे हमारा घर- हमारा विद्यालय योजना का किमान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। शिक्षक घर-घर जाकर विद्यालय जैसा पढ़ाई का माहौल बच्चों के घर पर बनाने में जुटे हुए हैं। अपने स्तर पर ही बच्चों को होम वर्क और क्लास वर्क देकर पढ़ाई करा रहे हैं। लेकिन भोपाल से



पाठ्यक्रम का मेटर नहीं मिलने से शिक्षण सत्र की तरह विषय वार पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पा रही है।

घर-घर जा रहे शिक्षक

हमारा घर- हमारा विद्यालय योजना के तहत बच्चों को घर में निर्धारित स्थाप पर बैठकर पढ़ाई कराई जा रही है। पढ़ाई के दौरान

आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षक रोजाना 5-5 बच्चों के घर जाकर पढ़ाई संबंधी उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बच्चों द्वारा दक्षता उन्नयन की वर्कबुक पर जो भी काम किया जाता है। इसके साथ ही गिनती, पहाड़े, हिन्दी-

अंग्रेजी सुलेख लिखा जाता है, उसे शिक्षक घर-घर जाकर चेक कर रहे हैं और आगे का काम भी दे रहे हैं।

13 जुलाई से होगी विषय वार पढ़ाई

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तकनीकी खराबी और मेटर तैयार न हो पाने के कारण प्रति दिन का मेटर भोपाल से नहीं भेजा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 13 जुलाई से नियमित रूप से मेटर आएगा। बच्चों को क्या पढ़ाया जाना है, इसका मेटर भोपाल में तैयार किया जा रहा है।

10 से अधिक बच्चे बैठाने पर रोक

शुक्रवार को डीपीसी आरपी लखेरे ने शिक्षकों को ऑनलाइन

बेबीनार में निर्देश दिए हैं कि बच्चों को घर पर ही एक निर्धारित स्थल पर पढ़ाना है। कई परिवारों के बच्चों को एक साथ क्लास की तरह बैठकर पढ़ाई नहीं कराई जानी है। किसी बच्चे के घर में जगह नहीं है तो पड़ोसी के घर में बच्चों के साथ जगह दिलाकर पढ़ाई कराई जानी है। लेकिन बच्चों को चबूतरों या सड़क किनारे क्लास लगाकर पढ़ाई नहीं करानी है।

13 जुलाई से मेटर मिलने लगेगा। हालांकि स्थानीय स्तर पर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। हमारे शिक्षक घर पहुंच कर बच्चों से संपर्क कर उनकी पढ़ाई संबंधी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। भोपाल से मेटर आने पर उसके अनुसार ही बच्चों की घर पर क्लासें लगाई जाएंगी।

आरपी लखेरे, डीपीसी

खण्डवा जिले की सीमा से बाहर जाने हेतु पास प्राप्त करना होगा अनिवार्य

यात्रा से वापस आने पर 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा जरूरी

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

नव प्रदेश संवाददाता

खण्डवा। जिले में कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए खण्डवा जिले से बाहर जाने के लिए एलिज प्रशासन से पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशेरे द्वारा जारी आदेश अनुसार शहर से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के लिए जिला प्रशासन से पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना पास के यात्रा करने पर इस आदेश का उल्लंघन माना जायेगा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा

188 एवं प्राकृतिक आपदा अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह दण्डनीय होगा। यह आदेश 10 सितम्बर तक प्रभावशील रहेगा। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशेरे द्वारा आदेश अनुसार पास के लिए इच्छुक व्यक्ति कलेक्ट्रेट स्थित लोक सेवा जिला प्रबंधक कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन का ग्राह्य प्राप्त कर सकते है। इस कार्य के लिए अपर कलेक्टर श्री एस.एल. सिंघाड़े को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है, जिनका दूरभाष क्रमांक 8223985858 है। जिला प्रबंधक लोक सेवा शैलेन्द्र जाधम का मोबाइल नम्बर 9907445535 है। आवेदक को निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा तथा यह लिखित शपथ भी देना होगी कि वापस आने पर वह व्यक्ति 7 दिन होम क्वारंटीन

रहेगा। जिला लोक सेवा प्रबंधक श्री जाधम को निर्देश दिए गए है कि वे पास जारी करने के बाद संबंधित व्यक्तियों की सूची कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेंगे, जिसके आधार पर कन्ट्रोल रूम के कर्मचारी जिले की सीमा से बाहर गए पास धारक यात्रियों के वापस आने पर उनसे चर्चा कर जानकारी प्राप्त करेंगे। कन्ट्रोल रूम प्रभारी इस सूचना को होम क्वारंटीन की सूची में शामिल कर देंगे तथा इन व्यक्तियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर उनकी मॉनिटरिंग होम क्वारंटीन टीम द्वारा की जायेगी। रविवार को प्राप्त कोरोना जांच रिपोर्ट में कुल 8 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एपिडिमियोलॉजिस्ट डॉ. योगेश शर्मा ने बताया कि इनमें 2 रिपोर्ट जिला अस्पताल खण्डवा के टर्नूटोत मशीन की जांच में पॉजिटिव आई है।

